BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 285/2023
(IA NO. 749/2025)

IN THE MATTER OF:

MEGHRAJ SINGH ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...….RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH TO IA NO. 749 OF 2025 IN COMPLIANCE WITH ORDER DT. 16.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 05.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	A COPY OF THE LETTER DATED 28.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 03.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 30.01.2026 ALONG WITH PHOTOGRAPHS OF THE INSPECTION ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE HANDOVER LETTER DATED 30.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 24.05.2026

Place: NOIDA

2406

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 285/2023
(IA NO. 749/2025)

IN THE MATTER OF:

MEGHRAJ SINGH ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …….RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH TO IA NO. 749 OF 2025 IN COMPLIANCE WITH ORDER DT. 16.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **Kapil Singh** aged about **50** years S/o **Late Sh. R.B. Singh**, posted as District Magistrate, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

NOTARY
Ashish Kumar
Advocate
Akbarpur (K.D.)
48220/2025
GOVERNMENT OF INDIA

3. That, in the present **I.A. No. 749/2025**, the applicant has alleged that paddy and wheat crops are being cultivated over ponds situated in Revenue Village Alipur Ramhar, Tehsil Rasulabad, District Kanpur Dehat, and has prayed for confiscation of the crops allegedly grown thereon and restoration of the said ponds to their original status.

4. That the matter was last listed for hearing on **16.02.2026** wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "...1. A letter has been circulated by the counsel for the District Magistrate, Kanpur Dehat seeking four weeks' time to file reply of IA No. 749/2025.

   3. List on 26.05.2026..."

REPLY IS AS FOLLOWS

I. REGARDING DIRECTIONS ISSUED TO THE CONCERNED OFFICIALS

5. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide Letter No. **750/Sa/R-166/2025** dated **05.12.2025**, directed the concerned officials to conduct an inspection and submit a report regarding the issues raised in the present I.A., so as to enable timely filing of an appropriate response before the Hon'ble Tribunal.

   A copy of the letter dated 05.12.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

NOTARY Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025 GOVERNMENT OF INDIA

6. That, the S.D.M., Rasoolabad, vide Letter dated **28.01.2026**, constituted a team of the Revenue Department under the chairmanship of the Nayab Tehsildar, Rasoolabad, with directions to conduct an inquiry into the issues raised in the present I.A. and submit its report to the S.D.M. Office.

   A copy of the letter dated 28.01.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

7. That, the S.D.M., Rasoolabad, vide Letter No. **62/ST-Rasoolabad-Inquiry/2026** dated **03.02.2026**, informed the deponent of the report submitted by the Revenue Team regarding the issues raised in the present

I.A., along with the actions taken in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the letter dated 03.02.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-3*.

II. REGADING AFFIDAVIT DATED 16.07.2025 SUBMITTED BEFORE THE HON'BLE TRIBUNAL

NOTARY ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025 ★ GOVERNMENT OF INDIA

8. That, it is most respectfully submitted that the Affidavit dated 16.07.2025 submitted by the District Magistrate, Kanpur Dehat, before the Hon'ble Tribunal was based upon an actual ground survey conducted by the Revenue Team with respect to the ponds situated in Village Alipur Ramhar. (***Kindly refer to Judicial Pages 361–391, the same is not being repeated herein for the sake of brevity***). The said report recorded that no permanent or temporary illegal encroachment was found by the Revenue Authorities upon the ponds situated in Village Alipur Ramhar.

9. That, it is further respectfully submitted that the applicant had subsequently lodged a complaint on the IGRS Portal in August, 2023, pursuant to which the Revenue Authorities again conducted a field as well as archival survey of the ponds situated in Village Alipur Ramhar. During the said inquiry, it was found that paddy crops had been sown over certain portions of some

pond lands by the Sah-khatedars of the respective plots. Accordingly, notices were issued to the concerned persons and thereafter, the standing paddy crop over the pond land was removed/destroyed by the authorities concerned.

III. REGADING AFFIDAVIT DATED 10.01.2024 SUBMITTED BEFORE THE HON'BLE TRIBUNAL

NOTARY ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2010 ★ GOVERNMENT OF INDIA

10. That, it is most respectfully submitted that the Affidavit dated **10.01.2024** was submitted by the District Magistrate, Kanpur Dehat, before the Hon'ble Tribunal on the basis of the report submitted by the Revenue Authorities after conducting on-site inspection and examination of the relevant revenue records pertaining to the ponds situated in Village Alipur Ramhar (***Kindly refer to Judicial Pages 780–811; the same is not being repeated herein for the sake of brevity***). The said affidavit recorded that no permanent or temporary illegal encroachment was found by the Revenue Authorities upon the ponds situated in Village Alipur Ramhar.

11. That, it is further respectfully submitted that the applicant had subsequently lodged a complaint before the competent authority on **25.09.2024**, pursuant to which the Revenue Authorities again conducted a field as well as documentary survey of the ponds situated in Village Alipur Ramhar. During

the said inquiry, it was found that paddy crops had been sown over certain portions of some pond lands by the Sah-khatedars of the respective plots. Accordingly, the crop standing over the encroached portion was handed over to the Gram Pradhan. However, due to excessive waterlogging, the said crop got submerged and was consequently destroyed.

IV. REGARDING SURVEY CONDUCTED BY THE REVENUE TEAM AND ACTION TAKEN AGAINST THE ENCROACHERS

NOTARY ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025 ★ GOVERNMENT OF INDIA

12. That, it is most respectfully submitted that, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, a 10-member Revenue Team under the chairmanship of the Nayab Tehsildar, Rasoolabad, conducted a fresh physical survey of all ponds situated in Village Alipur Ramhar (***Kindly refer to Annexure-2 above***). It is further submitted that the Revenue Team had also conducted field inspection and examination of the relevant revenue records pertaining to the said ponds. During the said exercise, action was taken against the encroachers cultivating crops over the pond land.

A copy of the inspection report dated 30.01.2026 along with photographs of the inspection are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-4***.

13. That, during the aforesaid survey, the Revenue Team examined Gata Nos. 349 (0.0610 Ha.), 681 (0.0410 Ha.), 858 (0.2770 Ha.), 880 (0.0410 Ha.), 1552 (0.2050 Ha.), 1572 (0.1130 Ha.), 2093 (4.7630 Ha.), 2104 (0.3480 Ha.), 2109 (0.0510 Ha.), 2135 (0.0410 Ha.), 2136 (3.1960 Ha.), 2210 (0.8450 Ha.) and 2212 (2.2880 Ha.), which are recorded as ponds in the revenue records. Upon demarcation and physical inspection, it was found that the said pond lands were free from encroachment and vacant on site, and no illegal occupation or cultivation was found thereon.

NOTARY Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025 GOVERNMENT OF INDIA

14. That, the Revenue Team further examined Gata Nos. 33 (0.6970 Ha.), 80 (0.2050 Ha.), 87 (0.0410 Ha.), 90 (0.6760 Ha.), 92 (1.8440 Ha.), 93 (1.2390 Ha.), 94 (1.6700 Ha.), 189/3 (0.4100 Ha.), 201/2 (11.9030 Ha.), 208/2 (3.1240 Ha.) and 297/2 (1.3820 Ha.), which are also recorded as ponds in the revenue records. Upon demarcation and inspection, it was found that **the said gata numbers were Minjumla plots** and that certain Sah-khatedars, namely, Rakesh Kumar S/o Ramautar (0.2050 Ha.), Rajesh Kumar @ Raju S/o Ramautar (0.2050 Ha.), Chandrabhan S/o Ramautar (0.1020 Ha.), Puttillal S/o Ramautar (0.1020 Ha.), Mahesh Chandra S/o Chedilal (0.2050 Ha.), Ramesh Chandra S/o Chedilal (0.2050 Ha.), Ram Bahadur S/o Ghaseetelal (0.1530 Ha.), Siyaram S/o Ramcharan (0.1020 Ha.), Shivram S/o Parmu (0.0510 Ha.), Ram Naresh S/o Ghaseetelal (0.1020 Ha.), Sarvesh S/o Bhoora (0.0510 Ha.), Radheshyam S/o Shivcharan (0.1020 Ha.) and

Bindlal S/o Shivcharan (0.1020 Ha.), **had cultivated wheat crop over portions of land in excess of their recorded share**.

15. That, thereafter, with the consent of the concerned Sah-khatedars, the encroached portions of the aforesaid pond lands were cleared by the Revenue Team in the presence of the Police Team, Gram Pradhan, Gram Rozgar Sevak and other respectable villagers. It is further respectfully submitted that, in order to ensure protection of the pond lands and prevent any future encroachment, the said ponds have been handed over to the custody of the Gram Pradhan, Gram Secretary and Gram Rozgar Sevak. A copy of the handover letter dated 30.01.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

NOTARY ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025 ★ GOVERNMENT OF INDIA

16. That, the deponent is duty bound to fulfil the obligations which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

17. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

जिलाधिकारी
DEPONENT
कानपुर देहातं

NOTARY
Ashish Kumar
Advocate
Akbarpur (K.D.)
48220/2025
GOVERNMENT OF INDIA

VERIFICATION

Verified at Kanpur Dehat on this 24 day of May, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

जिलाधिकारी
कानपुर देहातं
DEPONENT

8741/6112 25/05/026
Sworn before me this day As ....
By Sri .... to Whom As Conten
of this Explained Who is Duly identified Se. Self

25/05/026 Ashish Kumar
Advocate
Govt. Notary
Akbarpur Kanpur Deha

ANNEXURE-1

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक– 750/रा०/R-166/2025 दिनांकः 05/12/2025

1. समस्त उपजिलाधिकारी,तहसील–अकबरपुर/ सिकन्दरा/भोगनीपुर/मैथा/डेरापुर/रसूलाबाद, कानपुर देहात।
2. डी0पी0आर0ओ0, कानपुर देहात।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
4. अधिशाषी अभियंता, पी0डब्ल्यू0डी0, कानपुर देहात।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0नं0–285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या /2025 दिनांक 18.11.2025 एवं दिनांक 24.11.2025 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या– आफ 2025 दिनांक 18.11.2025 एवं दिनांक 24.11.2025 में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित आपत्तियों का संदर्भ ग्रहण करें। योजित आई0ए0 दिनांक 18.11.2025 की प्रति में बिन्दु संख्या– 3, 4, 5, 6, 7, 13 (कार्यवाही–उपजिलाधिकारी, तहसील रसूलाबाद), आई0ए0 दिनांक 24.11.2025 की प्रति में बिन्दु संख्या–3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 45 (कार्यवाही–उपजिलाधिकारी, तहसील–सिकंदरा), बिन्दु संख्या–5, 10 ,20 (कार्यवाही–डी0पी0आर0ओ0, कानपुर देहात), बिन्दु संख्या–6 7, 8, 9, 18 (कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात), बिन्दु संख्या–40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49 (कार्यवाहीः–पी0डब्ल्यू0डी0, कानपुर देहात) एवं बिन्दु संख्या– 50 (कार्यवाहीः–समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर देहात) के सम्बन्ध में आख्या वांछित है।

तत्सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा योजित आई0ए0 की छायाप्रतियाँ संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आई0ए0 में उल्लिखित सम्बन्धित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुये अपने स्तर से आख्या यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे आई0ए0 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या मा0 अधिकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि से पूर्व प्रेषित की जा सके।

05.12.2025
(अमित कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-2

2416

मा0 उच्च न्यायालय

कार्यालय उप जिलाधिकारी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

पत्रांक–62 /एस0टी0–रसूलाबाद–जॉच/2026 दिनांक 28 जनवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक 750/रू0–166/2025 दिनांक 05.12.2025 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0न0285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित आईएन दिनांक 18.11.2025 एवं दिनांक 21.11.2025 के सम्बन्ध में रिट यचिका सं0 749/2025 साथ में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का गुणावत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने नायब तहसीलदार रसूलाबाद की अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन किया जाता है। उक्त टीम राजस्व निरीक्षक की अध्यक्षता **दिनांक 29.01.2026** को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रकरण का गुणावत्तापूर्ण निस्तारण करायेगे। राजस्व टीम का विवरण निम्नवत है :–

क0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अन्य
1.	श्री शिव दर्शन सिंह	नायब तहसीलदार रसूलाबाद	
2.	श्री रामकिशोर	उप निरीक्षक पुलिस	
3.	श्री अनिल कुमार	राजस्व निरीक्षक	
4.	श्री कुवंर सिंह	राजस्व निरीक्षक	
5.	श्री बलदेव प्रसाद	चकबन्दी निरीक्षक	
6.	श्री रिषभ शुक्ला	क्षेत्रीय लेखपाल	
7.	श्री प्रत्युष पाठक	लेखपाल	
8.	श्री लक्ष्मीकान्त	लेखपाल	
9.	श्री रावेन्द्र कुमार	लेखपाल	
	श्री अरूण कुमार	चकबन्दी लेखपाल	

उक्त टीम संयुक्त रूप से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुये आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
रसूलाबाद कानपुर देहात।

प्रतिलिपि:– तहसीलदार रसूलाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– नायब तहसीलदार रसूलाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– प्रभारी निरीक्षक रसूलाबाद को इस आशय प्रेषित कि मौके पर्याप्त पुलिस बल (महिला) उपलब्ध कराते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
4– सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।

उप जिलाधिकारी,
रसूलाबाद कानपुर देहात।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-3

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

पत्र सं0 62 / एस0टी0–रसू0–जॉच / 2026 2417   दिनांक 03 फरवरी, 2026

MS ca... 499 RO(PCB) ... CA ADM(E) 04/2/26

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 750 / सा0 / आर–166 / 2025 दिनांक 05.12.2025 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–285 / 2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या– आफ 2025 दिनांक 18.11.2025 एवं दिनांक 24.11.2025 के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या 749 / 2025 के सन्दर्भ में बिन्दु संख्या–3, 4, 5, 6, 7 व 13 के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, प्रकरण की जांच तहसीलदार रसूलाबाद से करायी गयी तहसीलदार रसूलाबाद की जांच आख्या निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या 03 :– महोदय बिन्दु संख्या–03 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 16.07.2023 को मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी वह रिपोर्ट राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का वास्तविक जमीनी सर्वे करने के उपरान्त प्रस्तुत की थी। क्यों कि जो रिपोर्ट दिनांक 16.07.2023 को मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, उसमें अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों (क्रम संख्या 35 से 58) पर कोई स्थाई एवं अस्थाई अवैध अतिक्रमण नही पाया गया था। अतः मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष सत्य एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

बिन्दु संख्या 04 :– महोदय बिन्दु संख्या–04 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक के द्वारा अगस्त 2023 में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायत की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनः ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आशिंक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। तथा जिसके सम्बन्ध में सहखातेदारों को नोटिस भी दी गयी थी। तथा उसके उपरान्त तालाब की भूमि पर खड़ी धान की फसल को नष्ट भी करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या 05 :– महोदय बिन्दु संख्या–05 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया, जिसनें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आशिंक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। तथा जिसके सम्बन्ध में सहखातेदारों को नोटिस भी दी गयी थी। तथा उसके उपरान्त तालाब की भूमि पर खड़ी धान की फसल को नष्ट भी करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या 06 :– महोदय बिन्दु संख्या–06 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने दिनांक 10.01.2024 को अनुपालन रिपोर्ट (पत्र सन्दर्भ संख्या 252 / एस0ए0 / आर0–1 / 2024) मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल की थी, जो अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त दाखिल की गयी थी। जिसमें ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों पर स्थाई एवं अस्थाई अवैध अतिक्रमण नही पाया गया था। अतः मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष सत्य एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

बिन्दु संख्या 07 :– महोदय बिन्दु संख्या–07 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 25.09.2024 को एक शिकायत (शिकायत संख्या 40016324013673) दर्ज करायी थी। जिसके सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय व अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आंशिक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अतिक्रमित रकवे की फसल को ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया था। जिसमें अतिक्रमित रकवे की फसल जल भराव अधिक होने के कारण जलमग्न होकर नष्ट हो गयी थी।

बिन्दु संख्या 13 :– महोदय बिन्दु संख्या–13 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा0 न्यायाधिकरण के दिनांक 19.04.2023 के आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया था। जिसमें तालाब की भूमि पर फसल उगाने वाले अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की गयी। तथा इसी क्रम में कार्यालय उपजिलाधिकारी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के पत्रांक 62/एस0टी0–रसू0–जांच/2026 दिनांक 28.01.2026 को नायब तहसीलदार रसूलाबाद की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया गया। जिसके द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अलीपुर रामहार के सभी तालाबों का भौतिक सर्वेक्षण किया, जिसकी आख्या निम्नवत् है–

ग्राम अलीपुर रामहार की गाटा संख्या 349/0.0610 हे0, 681/0.0410 हे0, 858/0.2770 हे0, 880/0.0410 हे0, 1552/0.2050 हे0, 1572/0.1130 हे0, 2093/4.7630 हे0, 2104/0.3480 हे0, 2109/0.0510 हे0, 2135/2/0.0410 हे0, 2136/1/3.1960 हे0, 2210/0.8450 हे0 व 2212/2.2880 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर यह पाया गया कि उक्त तालाब मौके पर कब्जा मुक्त है अर्थात उक्त तालाब मौके पर रिक्त पाये गये तथा इन तालाबों पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

ग्राम अलीपुर रामहार के गाटा संख्या 33/0.6970 हे0, 80/0.2050 हे0, 87/0.0410 हे0, 90/0.6760 हे0, 92/1.8440 हे0, 93/1.2390 हे0, 94/1.6700 हे0, 189/3/0.4100 हे0, 201/2/11.9030 हे0, 208/2/3.1240 हे0 व 297/2/1.3820 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर यह पाया गया कि उक्त गाटे मिनजुमला नम्बर है तथा उक्त गाटों के आंशिक भाग पर उक्त गाटों के सहखातेदारों (राकेश कुमार पुत्र रामऔतार रकवा 0.2050 हे0, राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र रामऔतार रकवा 0.2050 हे0, चन्द्रभान पुत्र रामऔतार रकवा 0.1020 हे0, पुत्तीलाल पुत्र रामऔतार रकवा 0.1020 हे0, महेशचन्द्र पुत्र छेदीलाल रकवा 0.2050 हे0, रमेशचन्द्र पुत्र छेदीलाल रकवा 0.2050 हे0, रामबहादुर पुत्र घसीटेलाल रकवा 0.1530 हे0, सियाराम पुत्र रामचरन रकवा 0.1020 हे0, शिवराम पुत्र परमू रकवा 0.0510 हे0, रामनरेश पुत्र घसीटेलाल रकवा 0.1020 हे0 सर्वेश पुत्र भूरा रकवा 0.0510 हे0, राधेश्याम पुत्र शिवचरन रकवा 0.1020 हे0 व बिन्दलाल पुत्र शिवचरन रकवा 0.1020 हे0) द्वारा अभिलेखों में दर्ज रकवे से अधिक भूमि पर गेंहू की फसल बोई गयी थी, जिनकी सहखातेदारों की सहमति की साथ उक्त गाटों को राजस्व टीम द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में एवं ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक एवं ग्राम के अन्य सम्भ्रान्त लोगों की उपस्थिति में कब्जा मुक्त करा दिया गया है। उक्त सभी तालाबों के संरक्षण हेतु तथा पुनः कब्जा न करने हेतु उक्त सभी तालाबों को ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व ग्राम रोजगार सेवक की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

अतः तहसीलदार रसूलाबाद की बिन्दुवार जांच आख्या संलग्न कर रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

उपजिलाधिकारी,

रसूलाबाद

ANNEXURE-4

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली,
मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्रांक 750/सा0/आर–166/2025 दिनांक 05.12.2025 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या– आफ 2025 दिनांक 18.11.2025 एवं दिनांक 24.11.2025 के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या 749/2025 के सन्दर्भ में बिन्दु संख्या–3, 4, 5, 6, 7 व 13 के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जो निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या 03 :– महोदय बिन्दु संख्या–03 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 16.07.2023 को मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी वह रिपोर्ट राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का वास्तविक जमीनी सर्वे करने के उपरान्त प्रस्तुत की थी। क्यों कि जो रिपोर्ट दिनांक 16.07.2023 को मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, उसमें अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों (क्रम संख्या 35 से 58) पर कोई स्थाई एवं अस्थाई अवैध अतिक्रमण नही पाया गया था। अतः मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष सत्य एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

बिन्दु संख्या 04 :– महोदय बिन्दु संख्या–04 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक के द्वारा अगस्त 2023 में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायत की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनः ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आशिंक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। तथा जिसके सम्बन्ध में सहखातेदारों को नोटिस भी दी गयी थी। तथा उसके उपरान्त तालाब की भूमि पर खड़ी धान की फसल को नष्ट भी करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या 05 :– महोदय बिन्दु संख्या–05 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आशिंक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। तथा जिसके सम्बन्ध में सहखातेदारों को नोटिस भी दी गयी थी। तथा उसके उपरान्त तालाब की भूमि पर खड़ी धान की फसल को नष्ट भी करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या 06 :– महोदय बिन्दु संख्या–06 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने दिनांक 10.01.2024 को अनुपालन रिपोर्ट (पत्र

30-01-2026 30-1-26 30/1/26 30-1-26 30-1-2026

सन्दर्भ संख्या 252/एस0ए0/आर0–1/2024) मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल की थी, जो अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त दाखिल की गयी थी। जिसमें ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों पर स्थाई एवं अस्थाई अवैध अतिक्रमण नही पाया गया था। अतः मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष सत्य एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

बिन्दु संख्या 07 :– महोदय बिन्दु संख्या–07 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 25.09.2024 को एक शिकायत (शिकायत संख्या 40016324013673) दर्ज करायी थी। जिसके सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय व अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि ग्राम अलीपुर रामहार के कुछ तालाबों के आंशिक भाग पर उसी गाटे के सहखातेदारों द्वारा धान की फसल लगायी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अतिक्रमित रकवे की फसल को ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया था। जिसमें अतिक्रमित रकवे की फसल जल भराव अधिक होने के कारण जलमग्न होकर नष्ट हो गयी थी।

बिन्दु संख्या 13 :– महोदय बिन्दु संख्या–13 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा0 न्यायाधिकरण के दिनांक 19.04.2023 के आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में राजस्व टीम द्वारा ग्राम अलीपुर रामहार के तालाबों का स्थलीय एवं अभिलेखीय सर्वेक्षण किया गया था। जिसमें तालाब की भूमि पर फसल उगाने वाले अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की गयी। तथा इसी क्रम में कार्यालय उपजिलाधिकारी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के पत्रांक 62/एस0टी0–रसू0–जांच/2026 दिनांक 28.01.2026 को नायब तहसीलदार रसूलाबाद की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया गया। जिसके द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अलीपुर रामहार के सभी तालाबों का भौतिक सर्वेक्षण किया, जिसकी आख्या निम्नवत् है–

ग्राम अलीपुर रामहार की गाटा संख्या 349/0.0610 हे0, 681/0.0410 हे0, 858/0.2770 हे0, 880/0.0410 हे0, 1552/0.2050 हे0, 1572/0.1130 हे0, 2093/4.7630 हे0, 2104/0.3480 हे0, 2109/0.0510 हे0, 2135/2/0.0410 हे0, 2136/1/3.1960 हे0, 2210/0.8450 हे0 व 2212/2.2880 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर यह पाया गया कि उक्त तालाब मौके पर कब्जामुक्त है। अर्थात उक्त तालाब मौके पर रिक्त पाये गये तथा इन तालाबों पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

ग्राम अलीपुर रामहार के गाटा संख्या 33/0.6970 हे0, 80/0.2050 हे0, 87/0.0410 हे0, 90/0.6760 हे0, 92/1.8440 हे0, 93/1.2390 हे0, 94/1.6700 हे0, 189/3/0.4100 हे0, 201/2/11.9030 हे0, 208/2/3.1240 हे0 व 297/2/1.3820 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर

30-01-2026

यह पाया गया कि उक्त गाटे मिनजुमला नम्बर है तथा उक्त गाटों के आंशिक भाग पर उक्त गाटों के सहखातेदारों (राकेश कुमार पुत्र रामऔतार रकवा 0.2050 हे0, राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र रामऔतार रकवा 0.2050 हे0, चन्द्रभान पुत्र रामऔतार रकवा 0.1020 हे0, पुत्तीलाल पुत्र रामऔतार रकवा 0.1020 हे0, महेशचन्द्र पुत्र छेदीलाल रकवा 0.2050 हे0, रमेशचन्द्र पुत्र छेदीलाल रकवा 0.2050 हे0, रामबहादुर पुत्र घसीटेलाल रकवा 0.1530 हे0, सियाराम पुत्र रामचरन रकवा 0.1020 हे0, शिवराम पुत्र परमू रकवा 0.0510 हे0, रामनरेश पुत्र घसीटेलाल रकवा 0.1020 हे0 सर्वेश पुत्र भूरा रकवा 0.0510 हे0, राधेश्याम पुत्र शिवचरन रकवा 0.1020 हे0 व बिन्दलाल पुत्र शिवचरन रकवा 0.1020 हे0) द्वारा अभिलेखों में दर्ज रकवे से अधिक भूमि पर गेंहू की फसल बोई गयी थी, जिनकी सहखातेदारों की सहमति की साथ उक्त गाटों को राजस्व टीम द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में एवं ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक एवं ग्राम के अन्य सम्भ्रान्त लोगों की उपस्थिति में कब्जा मुक्त करा दिया गया है। उक्त सभी तालाबों के संरक्षण हेतु तथा पुनः कब्जा न करने हेतु उक्त सभी तालाबों को ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व ग्राम रोजगार सेवक की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

महोदय उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

30-01-2026

RI
30/1/26

30.01.26
RK

30.1.2026

30.01.26

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 750/सा०/R-166/2025 दिनांक 05/12/2025 के अनुसार दिये गये आदेश के क्रम में ग्राम अलीपुर रामदार में राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों का भौतिक सर्वे किया गया जिसकी जांच आख्या निम्नवत है-

ग्राम अलीपुर के राजस्व अभिलेख्यों में कुल 24 गाटे तालाब के दर्ज पाये गये जिनका भौतिक सर्वे करने पर यह ज्ञात हुआ कि ग्राम अलीपुर रामदार के गाटा सं०/रकबा 349/0.0610है०, 681/0.0410है०, 858/0.2770, 880/0.0410है०, 1552/0.2050है०, 1572/0.1130, 2093/4.7630है०, 2104/0.3480है०, 2109/0.0510है०, 2135/2/0.0410, 2136/1/3.196है०, 2210/0.8450है०, 2212/2.2880है० जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर यह पाया गया कि उक्त तालाब मौके पर कब्जा मुक्त पाये गये अर्थात उक्त तालाब मौके पर खाली पाये गये तथा इन पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

ग्राम अलीपुर रामदार के गाटा सं०/रकबा 33/0.6970है०, 80/0.2050है०, 87/0.0410है०, 90/0.6760है०, 92/1.8440है०, 93/1.2390है०, 94/1.6700है०, 189/3/0.4100है०, 201/2/11.9030, 208/2/3.1240है०, 297/2/1.3820है० जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है तथा जिनका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा करने पर यह पाया गया कि उक्त गाटे मिनजुमला नंबर है तथा उक्त गाटों के आंशिक भाग पर उक्त गाटों के सहखातेदारों द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज रकबे से अधिक रकबे पर गेहूँ की फसल बोई गई थी जिसको सहखातेदारों की सहमति के साथ उक्त गाटों को राजस्व टीम द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में एवं ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक एवं ग्राम के अन्य संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में कब्जा मुक्त करा दिया गया है तथा उक्त तालाबों को ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं ग्राम रोजगार सेवक के सुपुर्दगी में दे दिया गया है तथा उक्त सभी तालाबों को संरक्षण हेतु तथा पुनः कब्जा ना करने हेतु उनकी सुपुर्दगी ग्राम के संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं ग्राम रोजगार सेवक को दे दी गई है।

[signature] लेखपाल
30-01-2026 ग्रा० अलीपुर रामदार

[signature]
30-1-26

2423

खाता क्रमांक : 148864 ग्राम का नाम : अलीपुर रामहार परगना : रसूलाबाद तहसील : रसूलाबाद जनपद : कानपुर देहात फसली वर्ष :1425-1430 भाग : 1

1	2	3	4	5	6	7-12	13
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
			2092	0.0200			
			2146..	0.0020			
			2166मि.	0.1540			
			2186मि.	0.1840			
			2235मि.	0.0740			
			2239	0.1770			
			1885	0.0510			
	कुल योग खाता-		86	5.0420	₹ 0.0		
	श्रेणीवार कुल योग		86	5.0420	₹ 0.00		

5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु (नदारद)

5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु (नदारद)

5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु (नदारद)

6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

1	2	3	4	5	6	7-12	13
00808	तालाब / 0 / नि. ग्राम	0	33.	0.6970			00586
		0	80..	0.2050			
		0	87	0.0410			
		0	90.	0.6760			
		0	92	1.8440			
		0	93	1.2390			
		0	94.	1.6700			
		0	189/3	0.4100			
		0	201/2	11.9030			
		0	208/2	3.1240			
		0	297/2	1.3820			
		0	349..	0.0610			
		0	681	0.0410			
		0	858	0.2770			
		0	880	0.0410			
		0	1552	0.2050			
		0	1572.	0.1130			
		0	2093	4.7630			
		0	2104	0.3480			
		0	2109..	0.0510			
		0	2135/2	0.0410			
		0	2136/1.	3.1960			

यह खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

2424

ग्राम क्रमांक : 148864 ग्राम का नाम : अलीपुर रामहार परगना : रसूलाबाद तहसील : रसूलाबाद जनपद : कानपुर देहात फसली वर्ष :1425-1430 भाग : 1

1	2	3	4	5	6	7-12	13	
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी	
		0	2210.	0.8450				
		0	2212	2.2880				
	कुल योग खाता-		24	35.4610	₹ 0.0			
00809	नाली / 0 / नि. ग्राम	0	131	0.0100				00587
		0	300	0.0310				
		0	402	0.1540				
		0	413	0.0100				
		0	794	0.0610				
		0	940	0.0100				
		0	2038	0.0200				
		0	124	0.0310				
		0	371	0.0510				
		0	577	0.0720				
		0	792	0.0720				
		0	1460	0.1020				
		0	1506	0.1640				
		0	1559	0.0510				
		0	2127	0.0200				
		0	978	0.0820				
		0	788	0.0310				
	कुल योग खाता-		17	0.9720	₹ 0.0			
00810	बम्बा / 0 / नि. ग्राम	0	1957/2	0.0510				00588
		0	1958/2	0.0820				
		0	1081/1	0.1330				
		0	498/2	0.0820				
		0	550	0.0200				
		0	1082/1	0.0100				
		0	1078/1	0.0120				
		0	1915/2	0.0720				
		0	517/2	0.0920				
		0	499/2	0.0820				
		0	496/2	0.0310				
		0	1913	0.0310				
		0	1149/1	0.0820				
		0	1054.,	0.0820				
		0	1058.	0.0510				
		0	1912/2.	0.0510				

❶ यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

2425

GPS Map Camera
Gambhira, Uttar Pradesh, भारत
Gambhira, Uttar Pradesh 209306, भारत
Lat 26.77275° Long 79.821197°
बुधवार, 20/05/2026 05:25 PM GMT +05:30
Google

2426

GPS Map Camera
Gambhira, Uttar Pradesh, भारत
Gambhira, Uttar Pradesh 209306, भारत
Lat 26.772935° Long 79.821112°
बुधवार, 20/05/2026 05:25 PM GMT +05:30
Google

2427

GPS Map Camera
Gambhira, Uttar Pradesh, भारत
Gambhira, Uttar Pradesh 209306, भारत
Lat 26.772588° Long 79.82148°
बुधवार, 20/05/2026 05:26 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Gambhira, Uttar Pradesh, भारत
Gambhira, Uttar Pradesh 209306, भारत
Lat 26.772582° Long 79.821518°
बुधवार, 20/05/2026 05:28 PM GMT +05:30

ANNEXURE-5

सुपुर्दगी पत्र

2429

ग्राम अलीपुर रामहार के गाटा सं० / रकबा 33/0.6970हे., 80/0.2050, 87/0.0410हे., 90/0.6760हे., 92/1.8440हे., 93/1.2390हे., 94/1.6700हे., 189/3/0.4100हे., 201/2/11.9030हे., 208/2/3.1240हे., 297/2/1.3820हे., 349/0.0610हे., 681/0.0410हे., 858/0.2770हे., 880/0.0410हे., 1552/0.2050हे., 1572/0.1130हे., 2093/4.7630हे., 2104/0.3480हे., 2109/0.0510हे., 2135/2/0.0410हे., 2136/1/3.1960, 2210/0.8450हे., 2212/2.2880हे. जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है जिसका सीमांकन राजस्व टीम द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में तथा ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक एवं ग्राम के अन्य संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में किया गया जिसमें उपरोक्त तालाबों को कब्जामुक्त कराते हुये उपरोक्त तालाबों की सुपुर्दगी ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक को ग्राम के संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में कर दी गई है। यह सुपुर्दगी दिनांक 30-01-2026 को की गई है।

30-01-2026
नायब तहसीलदार

प्रधान
ग्राम पंचायत अलीपुर रामहार
रसूलाबाद कानपुर देo

[illegible] अध्यक्ष
ग्रा०रो०से०

श्यामसुन्दर यादव

शिवसिंह